

प्रकरण संख्या 5/2017

जिला-भीलवाड़ा

/200 ना.क.

पटवार हल्का सालरिया कला
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

अनवान

बनाम श्री शम्भु सिंह

पिता श्री लक्ष्मण सिंह

जाति सालपुत निवासी सालरिया कला

(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक : 17.10.2017

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-
ग्राम सालरिया कला पटवार मण्डल सालरिया कला तहसील-बनेड़ा की
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर 2074 2014 में से रकबा 2.10 बीघा पर
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्वत् 2074 के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस
तिल काश्त/अवैध कब्जा/ अतिक्रमण कर लेने पर पटवारी
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण
होना तथा जिस तिल काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी
को अतिक्रमी करार देते हुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्तसरकार की जाकर निलाम किये जाने
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान 2.00X50
का गुणा = 100 रुपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



वर्ष 2017-18 में राले 4 के पृष्ठ
संख्या 82 पर रु 100
की मांग कायमी की गई।

Bathi
तहसील राजस्व लेखाकार
बनेड़ा (जि. भीलवाड़ा)

Am
नायब तहसीलदार, बनेड़ा